[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
[केंद्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड]

अधिसूचना सं. 66/2017-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 15 नवंबर, 2017

सा.का.नि. (अ)-केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या 40/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 1254(अ) तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, को सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई थीं या जिनके किए जाने का लोप किया गया था, परिषद की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को जिसने उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन सम्मिश्र उदग्रहण का विकल्प नहीं दिया था, को व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के रूप में अधिसूचित करती है जो उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट पूर्ति के समय मालों की जावक पूर्ति पर जिसके अंतर्गत वह स्थितियां भी हैं जिन पर उक्त अधिनियम की धारा 14 के उपबंध लागू होते हैं, केन्द्रीय कर का संदाय करेंगे और तदनुसार उक्त अधिनियम के अध्याय 9 और तद्धीन बनाए गए नियमों में यथावर्णित ब्यौरे और विवरणियां प्रस्तुत करेंगे तथा ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा कर के संदाय के लिए विहित अवधि वह होगी जो उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट है ।

[फाइल सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या 40/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 1254(अ) तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।